न्यायालयः— द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

सत्र प्रकरण<u>कमांकः 12/2014</u> संस्थित दिनांक–13.01.2014 फाईलिंग नंबर–230303005332014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र मौ, जिला—भिण्ड (म०प्र०) —————अभियोजन

वि रू द्ध

1— गंगासिंह उर्फ पण्डा पुत्र नवाबसिंह यादव उम्र 61 साल नि0 लुहारपुरा मौ

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपरलोक अभियोजक आरोपीगण द्वारा श्री ए०के० राणा अधिवक्ता ।

-::- <u>निर्णय</u> -::-(आज दिनांक **20 अप्रेल 2015** को खुले न्यायालय में घोषित)

- अभियुक्त गंगासिंह उर्फ पण्डा के विरूद्ध धारा 294, 506 भाग-2 एवं 326 भा0द0वि0. के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक 07.01. 13 को दिन करीब 2.00 बजे रामहरी के खेत के पास नाला हार मौजा मौ के लोक स्थान पर फरियादी हरीसिंह यादव को माँ बिहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देकर उसे क्षोभकारित करने, एवं उक्त फरियादी को सख्त एवं धारदार हथियार फावडा बांयी तरफ माथे में मारकर स्वेच्छ्या घोर उपहित कारित करने तथा उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि फिरयादी हरीसिंह यादव पटवारी पद से सेवानिवृत्त है और आरोपी व फिरयादी का तारौली मौजे में शामिलाती जमीन का खाता है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है।
- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 07.01.13 को फरियादी हरीसिंह अपने हार बिनयावाले खेत में नाले से पानी दे रहा था तब गंगासिंह उर्फ पण्डा यादव ने नाले का पानी रोक दिया। तब फरियादी ने आरोपी गंगासिंह उर्फ पण्डा से कहा कि नाले का पानी क्यों रोक दिया वह उसके खेत में चल रहा है। इसी बात पर गंगासिंह मॉ बिहन की भद्दी भद्दी गालियॉ देने लगा तथा फरियादी द्वारा मना करने पर हाथ में लिये हुए फावडे को फरियादी हरीसिंह के माथे में मारा जो बांयी तरफ माथे में लगा जिससे घाव होकर खून बहने लगा। फरियादी द्वारा चिल्लाने पर

मोतीराम यादव व मोहनसिंह यादव आ गये जिनके द्वारा घटना देखी गई। तब आरोपी जाते हुए यह कह रहा था कि मादरचोद आज तो बच गया आईंदा जान से खतम कर देंगे।

- 4. उक्त आशय की रिपोर्ट पर से अप०क०–06 / 12 अंतर्गत धारा– 294, 323, 506 भाग–2 भा.दं.वि. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कायम की गयी । मेडीकल रिपोर्ट उपरांत धारा–326 भा.द.वि. का इजाफा करके तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।
- 5. जे0एम0एफ0सी0 कुमारी शैलजा गुप्ता द्वारा प्रकरण उपार्पित किए जाने पर माननीय सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ।
- 6. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त गंगासिंह उर्फ पण्डा के विरूद्ध धारा 294,326 एवं 506 भाग—2 भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में जमीन के बंटवारे को लेकर झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। बचाव पक्ष ने कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।
- 7. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - 1— क्या आरोपी ने दिनांक 07.01.13 को दिन करीब 02.00 बजे रामहरी के खेत के पास नाला हार मौजा मौ के लोक स्थान पर हरीसिंह यादव को मॉ बिहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देकर उसे क्षोभकारित किया?
 - 2— क्या उक्त सुसंगत घटना में फरियादी हिरिसिंह को सख्त एवं धारदार हिथयार फावडा बांये माथे में मारकर उसे स्वेच्छ्या घोर उपहितकारित की ?
 - 3— क्या आरोपी द्वारा उक्त सुसंगत घटना दिनांक व समय पर फरियादी हरीसिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

_::-निष्कर्ष के आधार :-::वाद प्रश्न कमांक-1 व 3 का निराकरण ::

8. सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये विचारणीय प्रश्न कमांक—1 व 3 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है ।
9. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अभियोजन साक्षी हरीसिंह यादव अ0सा0—1, मोहनसिंह अ0सा0—2, आर0 विमलेश अ0सा0—3, विजयसिंह अ0सा0—4, डी०एस0 वैस्य अ0सा0—5, योगेन्द्र प्रधान अ0सा0—6, डॉ० ऋषिकांत दुबे अ0सा0—7, नवरंगसिंह अ0सा0—8, मोतीराम यादव अ0सा0—9 के कथन कराये गये है, और प्र0पी0—1 लगायत प्र0पी0—09 के दस्तावेज पेश

- किये हैं । आरोपी की और से कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ।

 10. इस संबंध में अभियोजन के कथानक मुताबिक घटना रामहिर के खेत नाले के पास स्थित हार की बताई गई है। तथा घटनाक्रम मुताबिक फरियादी हरीसिंह अपने बिनया वाले खेत में नाले से पानी दे रहा था जिसे आरोपी गंगासिंह ने रोक दिया था जिस पर उसने आपित्त की थी कि पानी क्यों रोका। इसी बात पर उसे गाली—गलौच कर फावडे से माथे में चोटें पहुंचाने और जान से मारने की धमकी देने की घटना बताई गई हैं किन्तु इस बिन्दु पर अभिलेख पर अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य है उसमें घटना के मौके पर बताये गये साक्षी मोहनसिंह अ०सा0—2 व मोतीराम अ०सा0—9 हैं जिन्होंने अपनी अभिसाक्ष्य में समर्थन नहीं किया है। और उक्त दोनों बिन्दुओं पर केवल फरियादी हरीसिंह यादव अ०सा0—1 का ही अभिसाक्ष्य हुआ है। इसलिये फरियादी के अभिसाक्ष्य का सावधानी पूर्वक व सूक्ष्मता से विश्लेषण करना होगा। क्योंकि बचाव पक्ष के द्वारा जमीनी रंजिश पर से झूंठा फंसाये जाने का आधार लिया गया है।
- 11. उक्त दोनों बिन्दुओं के संबंध में फरियादी हरीसिंह यादव अ०सा0—1 ने अपने मुख्य परीक्षण के अभिसाक्ष्य में आरोपी के द्वारा पानी रोक देने की कहने पर गाली—गलौच करने और मारने की धमकी देना बताया गया है। किन्तु फरियादी के संपूर्ण अभिसाक्ष्य में कहीं भी न तो गालियाँ स्पष्ट की गई हैं और न ही धमकी में क्या शब्द कहे गये, इसके बारे में स्पष्ट बताया है। पैरा—5 में इतना अवश्य कहा है कि आरोपी उसे वर्तमान में धमकी देता है कि अगर समझौता नहीं किया तो वह जान से मार देगा। इसके अलावा इस बिन्दु पर साक्ष्य नहीं है।
- 12. प्र0पी0—1 की एफ0आई0आर0 उक्त साक्षी लिखवाना कहता है। प्र0पी0—1 में भी गालियों का उल्लेख नहीं है। नक्शामौका प्र0पी0—6 जो कि साक्षी मोतीराम की निशादेही पर बनाया गया है उसके संबंध में मोतीराम अ0सा0—9 का समर्थन नहीं है। तथा नक्शामौका घटना के विवेचक एस0आई0 विजयसिंह अ0सा0—4 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 08.01.13 को तैयार करना बताया है।
- 13. नक्शामौका प्र0पी0—6 के मुताबिक बताया गया घटनास्थल क्रमांक—1 से दर्शाया है जो कि नाले के पास खाली प्लॉट है जिसके दूसरी तरफ अर्थात् दक्षिण दिशा की ओर आरोपी गंगासिंह का खेत बताया गया है जो कि आम रास्ते से लगा हुआ स्थान नहीं है बिल्क आम रास्ता जो कि शहर कस्बा मौ के लिये गई आर0सी0सी0 रोड से काफी दूर है। ऐसे स्थान को जहाँ तक आम व्यक्तियों की पहुंच सहज रूप से न हो, उसे लोक स्थान या लोक दृश्य स्थान नहीं माना जा सकता है। धारा—294 भा0द0वि0 के अपराध के लिये जिन आवश्यक अवयवों की पूर्ति साक्ष्य द्वारा होना आवश्यक है, उनमें सर्वप्रथम अश्लील शब्दों को उच्चारित करने वाला स्थान लोक स्थान या लोक दृश्य स्थान होना चाहिए जिसका प्रकरण में अभाव है। क्योंकि घटना नाले के पास लगे खाली स्थान की है।
- 14. वहीं दूसरी ओर जहाँ तक उच्चारित शब्दों का प्रश्न है, गाली-गलौच की घटना व्यक्तिगत श्रेणी की होती है, और उसके लिये इस आशय की स्पष्ट

साक्ष्य अपेक्षित होती है जिसमें अश्लील शब्दों को स्पष्ट किया जाये। ताकि उनके विश्लेषण से यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे शब्द अश्लीलता की परिधि में आते हैं अथवा नहीं। हस्तगत मामले में केवल फरियादी हरीसिंह द्वारा आरोपी के विरुद्ध गाली—गलौच करना बताया गया है, अश्लील शब्दों का स्पष्ट उल्लेख नहीं आया है। और केवल यह कहना कि गाली—गलौच हुई या माँ बहिन की अश्लील गालियाँ दीं, इतना मात्र धारा—294 भा0द0वि0 को प्रमाणित नहीं करता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में धारा—294 भा0द0वि0 के अपराध के लिये आवश्यक साक्ष्य का अभाव है जिससे आरोपी के द्वारा धारा—294 भा0द0वि0 के अपराध के लिये दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

15. जहाँ तक भयोप्रद करने के आशय से धमकी का प्रश्न है, उसके संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि उक्त धारा का अपराध भी व्यक्तिगत श्रेणी का होता है। और उसके संबंध में स्पष्ट साक्ष्य इस आशय की होनी चाहिए कि दी गई धमकी में ऐसे कौनसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो भय उत्पन्न करते हैं तथा धमकी वास्तविक होनी चाहिए। और उसे कार्य रूप में परिणीत करने का कृत्य भी दर्शित होना चाहिए। आक्रोशवश कहे गये शब्दों को उक्त धारा के अपराध के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है।

16. हस्तगत मामले में प्र0पी0—1 की एफ0आई0आर0 घटना दिनांक को ही बिना किसी विलंब के दर्ज कराई गई है जो इस बात का प्रमाण है कि धमकी से फरियादी भयभीत नहीं था और प्रकरण में इस बिन्दु पर भी मौके के साक्षी मोहनसिंह अ0सा0—2 व मोतीराम अ0सा0—9 कोई समर्थन नहीं करते हैं। तथा फरियादी हरीसिंह का भी इस संबंध में साक्ष्य सुदृढ नहीं है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत रामअवतार विरूद्ध स्टेट ऑफ म0प्र0 1985 किमिनल लॉ रिपोर्टर पेज—1 अवलोकनीय है। इस तरह से उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर युक्तियुक्त संदेह के परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी गंगासिंह ने दिनांक 07.01.13 को दिन के करीब दो बजे रामहिर के खेत नाले के पास हार मौजा मौ में किसी लोक स्थान या लोक दृश्य स्थान पर फरियादी को मॉ बिहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे क्षोभकारित किया तथा उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इसलिये आरोपी गंगासिंह उर्फ पण्डा को धारा—294 एवं 506 भाग—2 भा0द0वि0 के आरोपों से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

ः वाद प्रश्न कमांक-2 का निराकरण ः

17. इस संबंध में सर्वप्रथम अभिलेख पर प्रस्तुत की गई साक्ष्य से चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्यांकन करना उचित व आवश्यक है। परीक्षिति साक्षियों में से डॉ० आर०विमलेश अ०सा०—3 ने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 07.01.13 को सी०एच०सी० मौ में मेडिकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत हरीसिंह पुत्र भुवनसिंह को थाना मौ के सैनिक आर०एस० मिश्रा द्वारा लाये जाने पर उसकी चोट का परीक्षण किया था जिसमें हरीसिंह को बांये ललाट (माथा) के निचले हिस्से पर एक कटा हुआ घाव जिसका आकार 4.7 गुणित 1/2 से०मी० गुणित हड्डी की गहराई तक का था जिससे खून बह रहा था जो चोटें किसी

धारदार हिथयार से आई थीं और परीक्षण से 12 घण्टे के अंदर की थीं जिसकी उसने प्र0पी0—5 की मेडिकल रिपोर्ट तैयार की थी और आहत को एक्सरे हेतु जे0ए0एच0 हॉस्पीटल ग्वालियर रिफर किया था। व चोट की प्रकृति जानने के लिये एक्सरे परीक्षण की सलाह दी थी। उक्त चोट के अलावा आहत के और कोई चोट नहीं थी। घाव की नाप उसने इंचीटेप से की थी। और घाव की गहराई स्किनडीप थी। चोट का डायरेक्शन नहीं बता सकता क्योंकि उसकी रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। परीक्षण के समय आहत के कपडों पर खून पाया था या नहीं, यह भी वह नहीं बता सकता लेकिन चोट से खून अवश्य निकल रहा था। पैरा—3 में उसने यह भी स्पष्ट किया है कि चोट उसने सख्त व धारदार हथियार से आना पाई थी जिसका आशय तलवार, बल्लम, कुल्हाडी, चाकू, छुरी इत्यादि जैसे हथियारों से है। उसने एक्सरे नहीं किया था। यह स्वीकार किया है कि मो अस्पताल में एक्सरे मशीन है। उसने रिफर करने की अलग से स्लिप दी थी जिसकी छायाप्रति भी वह प्रकरण में पेश होना वह बताता है।

18. ऋषिकांत दुवे अ०सा०—7 ने भी अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि गालव सी०टी० स्केन सेंटर ग्वालियर में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत हरीसिंह कर सी०टी० स्केन परीक्षण करवाया जाना और उसके सिर की फन्टल बोन में अस्थिभंग पाया जाना बताते हुए यह कहा है कि चोट माईल्ड न्यूमोकैफिलिस (ब्रेन में हवा भर जाना) के कारण पाई थी। सी०टी० स्केन रिपोर्ट प्र०पी०—8 तैयार करना और उस पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर भी होना उक्त चिकित्सक ने बताये हैं। जो अस्थिभंजन उसने पाया वह किस हथियार से और किस प्रकार आ सकता है, यह बताने में उसने असमर्थता व्यक्त करते हुए यह कहा है कि आहत को नहीं देखा था। आहत कितने दिन भर्ती रहा, यह भी वह नहीं बता सकता। कौन लेकर आया था, यह भी उसे पता नहीं है। उसने केवल सी०टी० स्केन फिल्म के आधार पर रिपोर्ट देना बताया है और यह स्वीकार किया है कि गालव सी०टी० स्केन सेन्टर प्राईवेट है।

डॉ० योगेन्द्र प्रधान अ०सा०–६ को भी अभियोजन की परीक्षित कराया गया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक 08.01.13 को न्यूरोलॉजी विभाग में पदस्थ रहना बताते हुए कहा है कि आहत हरीसिंह को उक्त दिनांक को न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती किया गया था जिसने चोटें झगडे में आना बताई थी। उसके सी0टी0 स्केन में बांई टैम्पोरल बोल में अस्थिभंजन पाया गया था। उसके साथ में न्युमोकेफेलस भी था। तथा आहत दिनांक 21.01.13 को डिस्चार्ज किया गया था। सी०टी० स्केन की रिपोर्ट के आधार पर उक्त चिकित्सक ने आहत हरीसिंह की चोट गंभीर प्रकृति की होना बताते हुए प्र0पी0-7 की रिपोर्ट तैयार करना बताया है और यह भी स्पष्ट किया है कि उसके पास थाना मौ से रिफरेन्स लैटर दिनांक 07.03.13 को आया था और उसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.03.13 को भेजी थी। उसने आहत हरीसिंह का इलाज नहीं किया था। केवल विभागाध्यक्ष के निर्देश पर रिपोर्ट तैयार की थी। उसके घाव को नहीं देखा था इसलिये वह यह नहीं बता सकता कि चोट किस हथियार से आ सकती है। उक्त चिकित्सक के मुताबिक आहत 21 दिन भर्ती नहीं रहा था। आहत की केस शीट डॉ० दिनेश आर0एस0ओ० द्वारा भरी गई थी। प्र0पी0–7 में बंदूक की ओव्हरराईटिंग के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा गया है कि

ओव्हरराईटिंग पर उसने काउण्टर हस्ताक्षर किये थे।

- उक्त तीनों चिकित्सकों के संबंध में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता 20. का यह तर्क है कि प्रकरण में आहत हरीसिंह का एक्सरे परीक्षण डॉ0 आर0विमलेश के रिफर किये जाने पर न तो मौ अस्पताल में हुआ न ही जिला अस्पताल भिण्ड में हुआ। न ही जे०ए०एच० हॉस्पीटल ग्वालियर में हुआ और चोट की प्रकृति वगैर एक्सरे परीक्षण के निश्चित की जाना संभव नहीं है तथा जो बाद में मेडिकल बोर्ड भिण्ड द्वारा आहत का एक्सरे परीक्षण किया गया था। उसमें कोई अस्थिभंजन नहीं पाया गया था इसलिये डॉ० योगेन्द्र प्रधान और डॉ० ऋषिकांत दुबे द्वारा दिया गया मत स्वीकार नहीं किया जा सकता है और चोट को गंभीर नहीं माना जा सकता है। तथा आहत चोट के कारण 21 दिन भर्ती भी नहीं रहा है इसलिये चोट गंभीर नहीं मानी जा सकती है और इसी आधार पर मामला संदिग्ध है। और चिकित्सीय साक्ष्य से चोट के गंभीर होने की पृष्टि नहीं होती है क्योंकि जिस सी0टी0 स्केल के आधार पर अभिमत दिया गया है वह प्राईवेट डॉक्टर का है और न्यायिक कार्यवाही में उसका उपयोग नहीं किया गया है। जैसा कि प्र0पी0-8 में भी स्पष्ट नोट लगाया गया है इसलिये चोट भी प्रमाणित नहीं है और इसी आधार पर आरोपी को दोषमुक्त किया जाये। जबकि विद्वान ए०जी०पी० का तर्क है कि प्राईवेट चिकित्सक द्वारा किये जाने वाला उपचार और परीक्षण की रिपोर्टें भी नियमानुसार दाण्डिक न्यायालय द्वारा ग्रहण की जाती हैं और उन्हें केवल इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि वे प्राईवेट डॉक्टर की हैं तथा आहत लंबे समय से चोट से पीडित रहा है और चिकित्सकों की स्पष्ट राय चोट गंभीर होने के संबंध में आई है जिसका खण्डन नहीं है इसलिये चिकित्सीय साक्ष्य से चोट प्रमाणित है। जो कि सख्त व धारदार हथियार की होकर गंभीर प्रकृति की है। इसलिये वह धारा-326 भा0द0वि0 के अपराध के अंतर्गत आता है और उसे मान्य किया जावे।
- 21. अभिलेख पर उक्त तीनों चिकित्सकों की जो साक्ष्य है, उसका विश्लेषण करने पर डाँ० आर०विमलेश के अभिसाक्ष्य से घटना दिनांक 07.01.13 को आहत हरीसिंह को माथे में, बाई तरफ कटे हुए घाव के रूप में चोटें आना प्रमाणित है। जहाँ तक उसके रिफरेन्स लैटर का प्रश्न है, उसके संबंध में भी अ०सा०—3 ने स्पष्ट साक्ष्य दी है और रिफरेन्स स्लिप की कार्बन प्रति भी अभिलेख पर विद्यमान होना पाई है। मौ अस्पताल में एक्सरे न होने या जिला अस्पताल या जे०ए०एच० ग्वालियर में एक्सरे न होने के आधार पर प्र०पी०—7 एवं प्र०पी०—8 की मेडिकल रिपीटों को अग्राह्य नहीं किया जा सकता है। प्र०पी०—8 में जिस तरह का नोट अंकित किया गया कि वह मेडिको लीगन उद्धेश्य के लिये काम में नहीं लाई जा सकती है, ऐसा निजी अस्पताल या पैथोलॉजी, सी०टी० स्केन सेन्टर चलाने वाले संचालक को विधिक कार्यवाही में आने—जाने से या साक्षी के रूप में उपस्थित होने से बचने के उद्धेश्य लिखते हैं जिसे मान्य नहीं किया जा सकता है। मूलतः यह देखना है कि क्या आहत हरीसिंह को पाई गई चोट किसी सख्त व धारदार वस्तु से पहुंचाई गई और क्या वह गंभीर प्रकृति की थी?
- 22. इस संबंध में कराये गये सीoटीo स्केन सेन्टर के आधार पर डॉo ऋषिकांत दुवे अoसाo—7 और योगेन्द्र प्रधान अoसाo—6 के अभिसाक्ष्य से प्रoपीo—7 एवं 8 के चिकित्सीय दस्तावेज प्रमाणित होते हैं जिससे यह भी प्रमाणित

होता है कि आहत हरीसिंह को जो चोटें पाई गईं वह किसी सख्त व धारदार वस्तु से पहुंची थीं और गंभीर स्वरूप की थीं क्योंकि उसमें फ्रन्टल बोन का अस्थिभंजन भी पाया गया है। और ब्रेन में हवा भर जाना अर्थात् माईल्ड न्यूमोकैफिलिस पायागया है। जो अपने आप में चोट को गंभीर होना स्थापित करता है। इसलिये चिकित्सकों की राय केवल इस आधार पर अमान्य नहीं की जा सकती है कि प्रकरण में प्राथमिक चिकित्सा करने वाले डाँ० आर०विमलेश के मत मुताबिक एक्सरे परीक्षण नहीं हुआ क्योंकि सी०टी० स्केन की एक्सरे प्लेट व रिपोर्ट अभिलेख पर है। इस कारण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ एम०पी० विरुद्ध अमरसिंह 1996 द्वितीय एम०पी०डब्ल्यु०एन० एस०एन०-90 से कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। उक्त प्रस्तुत न्याय दृष्टांत के मामले में आहत को पाई गई चोट गंभीर प्रकृति की बताई गई थीं किन्तु रिपोर्ट के साथ एक्सरे प्लेटें भी अभिलेख पर पेश नहीं हुई थीं जिसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था जबिक इस मामले में सी०टी०स्केन की रिपोर्ट व प्लेट साथ में होने से परिस्थिति भिन्त है।

जहाँ तक यह प्रश्न उठाया गया है कि आहत चोट के कारण 21 दिन तक भर्ती नहीं रहा। जैसा कि डाॅ० योगेन्द्र प्रधान अ०सा०–६ के अभिसाक्ष्य में आया है जिसमें उन्होंने न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती रहने की अवधि दिनांक 08.01.13 से 21.01.13 की बताई है। घटना दिनांक 07.01.13 की है। जब आहत हरीसिंह को चोटें आईं ऐसे में भर्ती दिनांक महत्व नहीं रखेगी बल्कि चोटिल होने के दिनांक से पीडित रहने तक की अवधि देखी जाती है। धारा–320 भा0द0वि0 में घोर उपहति को परिभाषित किया गया है जिसके खण्ड आठवे में यह उपबंध है कि कोई उपहति जो जीवन को संकटापन्न करती है या जिसके कारण आहत व्यक्ति बीस दिन तक तीव्र शारीरिक पीडा में रहता है या अपने कामकाज को करने में असमर्थ रहता है तो ऐसी उपहति भी घोर उपहति की श्रेणी में आयेगी। आहत चोट के कारण कब तक शारीरिक तीव्र पीडा में रहा और अपने दैनिक कामकाज को करने में असमर्थ रहा। इस बारे में स्पष्ट साक्ष्य अवश्य नहीं है। हालांकि हरीसिंह अ०सा0-1 पैरा-6 में जे०ए०एच० हॉस्पीटल ग्वालियर में 21 दिन भर्ती रहना बताता है जिसका कोई अभिलेख नहीं है किन्तु उसकी इस प्रकरण में आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि आहत हरीसिंह को जो चोटें पाई गई वह अस्थिभंजन के रूप में और कड़े घाव के रूप में होकर गंभीर प्रकृति की स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। इसलिये प्रस्तुत न्याय दृष्टांत का कोई लाभ आरोपी को नहीं मिल सकता है। और बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का इस संबंध में किया गया तर्क भी विधिसम्मत न होने से स्वीकार योग्य नहीं है तथा चिकित्सीय साक्ष्य के उपरोक्त मूल्यांकन से आहत हरीसिंह को घटना दिनांक 07.01.13 को आई चोटें सख्त व मौथरी वस्तु की होकर गंभीर प्रकृति की होना मानी जाती है। अब प्रकरण में यह देखना होगा कि क्या आहत हरीसिंह को पहुंची चोटें आरोपी के द्वारा ही किसी सख्त व धारदार वस्त् से पहुंचाई गई? यह प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं परिस्थितियों के आधार पर ही विश्लेषित करना होगा।

24. प्रकरण में परीक्षित साक्षियों में से मौके के बताये गये साक्षी मोहनसिंह अ0सा0—2 जो कि आहत हरीसिंह का सगा भाई है, उसने यह कहा है कि उसके

सामने कुछ नहीं हुआ था और वह मौके पर भी नहीं था। उसे प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने आरोपी को उसके सामने गिरफतार किये जाने से भी इन्कार किया है। हालांकि वह गिरफतारी पंचनामा प्र0पी0–2 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार करता है। आरोपी के फावड़े की जप्ती से भी वह इन्कार करता है और जप्ती पत्र प्र0पी0–3 जिसके द्वारा आरोपी से फावडा जप्त होना बताया गया है, उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर भी होना वह बताता है। किन्तू उसने प्र0पी0–4 का ए से ए भाग 'हरीसिंह यादव ––––जान से खतम कर दूँगा' का कथन देने से इन्कार करते हुए प्र0पी0-2 व 3 के हस्ताक्षरों के संबंध में यह कहा है कि पुलिस ने थाने पर उससे करा लिये थे और नाले के पास हरीसिंह का कोई खेत नहीं है तथा वहाँ नाले के पास पत्थर खण्डे पडे रहते हैं। इस तरह से उक्त साक्षी ने आहत के चोटिल होने वाली घटना का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा मोतीराम अ०सा०–९ ने भी पक्ष विरोधी रहते हुए कथानक का समर्थन नहीं किया है और प्र0पी0–9 का पुलिस को कथन देने से भी वह इन्कार करता है। साथ ही यह भी कहा है कि झगड़े के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। न उसने झगडा देखा। इस तरह से घटना के दोनों मौके के साक्षी अभियोजन का समर्थन नहीं करते हैं और फरियादी/आहत हरीसिंह के अलावा अन्य शेष परीक्षित साक्षी पुलिस कर्मी भी शेष हैं। ऐसे में मामला एकल साक्ष्य पर आधारित हो जाता है। और सुस्थापित विधि मृताबिक जहाँ मामला एकल साक्ष्य पर आधारित हो, वहाँ साक्षी की अभिसाक्ष्य का अत्यंत सावधानीपूर्वक और सूक्ष्मता से विश्लेषण किये जाने की आवश्यकता होती है।

25. बचाव पक्ष का इस संबंध में तर्क है कि फरियादी की अभिसाक्ष्य का स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थन नहीं है इसलिये उसकी अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय माना जावे, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत जोसेफ विरुद्ध स्टेट ऑफ केरल (2003) वोल्यूम—1 पेज—465 में साक्ष्य विधान की धारा—134 की व्याख्या सहित यह प्रतिपादित किया गया है कि उक्त प्रावधान का तात्पर्य साक्ष्य की मात्रा नहीं है अपितु उसकी गुणवत्ता है और एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी पूरी तरह विश्वसनीय पाई जाती है तो उस पर दोषसिद्धि की जा सकती है।

26. फरियादी / आहत हरीसिंह अ०सा०—1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 01.07.13 को वह अपने बिनया वाले खेत में नाले से पानी दे रहा था तब आरोपी गंगासिंह ने उसके खेत में लग रहे नाले के पानी को बीच में ही रोक दिया था जिस पर उसने उससे कहा था कि पानी क्यों रोक दिया तो उसी पर आरोपी ने गाली—गलौच व मारने की धमकी दी और गंगासिंह ने उसके मित्तष्क में बांई तरफ फावडा मार दिया था जिससे सिर में लगने से वह बेहोश हो गया था। होश आने पर उसने देखा था कि मोतीराम व मोहनसिंह थे जिन्होंने घटना देखी थी। इसके बाद बदनसिंह के साथ में वह रिपोर्ट करने थाना मौ गया था। और उसने प्र0पी०—1 की रिपोर्ट लिखाई थी। पुलिस ने उसका मेडिकल कराया था। इस साक्षी ने आरोपी से रिश्तेदारी या भाईबंदी होने से इन्कार करते हुए यह कहा है कि तारौली मौजे में उसका व आरोपी का शामिलाती खाता है जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। लुहारपुरा मौजे में उसका व आरोपी का कोई सिम्मिलत खाता नहीं है और वह पटवारी पद से

सेवानिवृत्त हो चुका है। ग्वालियर में उसके भाई का मकान है। जिस बनिया वाले खेत में वह पानी दे रहा था वह तीन बीघा का है जिसमें से डेढ बीघा उसका व डेढ बीघा शेष उसके भाई का है। जो खेत उसके घर से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर होकर घर से पश्चिम दिशा की ओर है जिसे उसने बनिया से खरीदा था इसलिये उसे बनिया वाला खेत कहते हैं। उक्त साक्षी ने खेत की चतुर्सीमा स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि बनिया वाले खेत की पूर्व दिशा में नाले के बाद मोतीराम का खेत है, पश्चिम दिशा में भी मोतीराम का खेत है, उत्तर दिशा में बाबू का और दक्षिण दिशा में मंदिर की जमीन है। नाले से लगी हुई सरकारी भूमि है। उसके आगे गंगासिंह का खेत है जिसमें गैहूँ सरसों आदि की खेती होती है।

अ0सा0–1 ने पैरा–4 में यह कहा है कि नाले के बगल से आर0सी0सी0 की रोड करीब 200 फीट की दूरी पर है, और फावडे से मिट्टी छ्टाने के लिये पत्थरों पर ठोकते हैं इस कारण वह पत्थर पडे रहते हैं। पैरा-5 में उसने घटना दिन के करीब 2.00 बजे की बताते हुए इस बात से इन्कार किया है कि उस समय गंगासिंह के खेत में पानी लग रहा था। उसने पानी रोकने पर झगडा शुरू होना बताते हुए यह कहा है कि वह और आरोपी गृत्थमगृत्था नहीं हुए थे। गंगासिंह ने उसे फावडा खडे में धार की तरफ से मारा, उक्त बात उसने रिपोर्ट में भी लिखा दी थी। उस समय वह कुर्ता पहने हुए था जो खुन से बिगड भी गया था और जमीन पर भी खुन गिरा था। उसने मोतीराम की जो भूमि बताई है, उसके संबंध में पैरा–5 में यह कहा है कि उसके खेतों के पास मोतीराम को जमीन का हिस्सा मिला है और मोहनसिंह के बारे में उसका कहना है कि वह उसके चाचा का लडका है जो दोनों झगडे के वक्त मौके पर खंडे थे। पैरा–6 में उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि उसने ग्वालियर अस्पताल में डॉ0 दिनेश को फावडा मौथरी तरफ से मारना बताया था। उसने मेडिकल बोर्ड के एक्सरे में फ्रेक्चर न आना स्वीकार करते हुए यह कहा है कि पुलिस छः माह बाद ले गयी थी। पैरा–7 में उसने आरोपी से बंटवारे का कोई विवाद होने से भी इन्कार किया है।

28. फरियादी की साक्ष्य के संबंध में आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उक्त साक्षी इसलिये विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसे जो चोटें आई हैं, वह पत्थर पर गिरने से आई और फरियादी व आरोपी का शामिल खाता है जिसका बंटवारा फरियादी नहीं कर रहा है और वह पटवारी रह चुका है इसलिये उसे परेशान कर रहा है। तथा घटनास्थल पर सी0सी0 रोड भी बताई है और पत्थर भी पडे हैं। उन्हीं पत्थरों पर गिरने से चोटें लगी हैं इसलिये फरियादी की साक्ष्य अविश्वसनीय ठहराई जावे जबकि विद्वान ए0जी0पी0 का तर्क है कि फरियादी का साक्ष्य स्वाभाविक और पूर्ण विश्वसनीय है। और पत्थरों पर गिरने की कोई साक्ष्य नहीं है इसलिये उसे विश्वसनीय माना जाये और दोषसिद्धि की जाये। 29. घटना के मौके साक्षियों के संबंध में पूर्ण विश्लेषण किया जा चुका है। हरीसिंह अ0सा0–1 जो कि आहत साक्षी है, और आहत साक्षी के संबंध में यह सुस्थापित विधि है कि आहत साक्षी की साक्ष्य का विधि में एक विशेष स्थान होता है क्योंकि वह घटनास्थल पर अपनी उपस्थित की इन्विल्ट गारंटी रखता है। तथा ऐसा गवाह असल अपराधी को बच निकलने देगा और किसी तृतीय पक्ष को

असत्य रूप से फंसायेगा, इसकी संभावना भी कम रहती है। इस कारण आहत व्यक्ति की अभिसाक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए। जब तक की उसकी साक्ष्य को निरस्त करने के लिये अच्छे आधार अभिलेख पर न हों। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत अब्दुल सैयद विरुद्ध स्टेट ऑफ एम०पी० (2010) वोल्यूम-10 एस०सी०सी० पेज-259 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये आहत हरीसिंह की घटनास्थल पर उपस्थिति प्रमाणित है।

अ०सा0-1 के अभिसाक्ष्य जो घटनास्थल बताया गया है, वह खुली भूमि के रूप में है, नाला अवश्य है और उसके पास शहर कस्बे का आर0सी0सी0 का रोड है। किन्त् घटनास्थल के आसपास पत्थरों के पडे होने की स्थिति नक्शामौका में दर्शित नहीं है। आहत ने फावडे को मिट्टी छुटाने के लिये पत्थरों पर ठोकने की बात अवश्य स्वीकार की है किन्तु अभिलेख पर ऐसा कोई स्पष्ट सुझाव नहीं है कि आहत हरीसिंह को आई चोटें स्वमेव पत्थरों पर या सी०सी० रोड पर गिर जाने से आई। यदि चलते समय कोई व्यक्ति मुंह के बल गिरता है तो फिर माथे के अलावा चेहरे पर और भी चोटें आनी चाहिए जबकि ऐसा नहीं है। इसलिये आहत हरीसिंह के स्वमेव गिरने से चोटिल होने की पृष्टि नहीं होती है। तथा उसने स्पष्ट रूप से फावडा धार तरफ से बांई तरफ माथे में मारना बताया है जिसका खण्डन नहीं हुआ है। और अभिलेख पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो यह दर्शित कर सके कि फरियादी हरीसिंह के द्वारा आरोपी को किसी जमीन के बंटवारे की रंजिश पर से झूंठा फंसाया गया है। क्योंकि यदि ऐसा कोई कारण होता तब भी फंसाने वाला व्यक्ति शरीर के ऐसे अंग पर चोट बनाता या बनवाता है जो उसकी पहुंच में हो। किन्तु जिस प्रकृति की चोट आई है वह स्वतः कारित भी नहीं हो सकती है। और चोटें स्वतः कारित होने के संबंध में चिकित्सक से भी कोई मत बचाव पक्ष द्वारा नहीं लिया गया है। ऐसे में आहत साक्षी हरीसिंह अ०सा०–1 की अभिसाक्ष्य को निरस्त करने का कोई ढोस आधार अभिलेख पर नहीं है। न्याय दृष्टांत भजनिसंह उर्फ हरभजनिसंह विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा ए०आई०आर० 2011 एस०सी० पेज-2552 में यह प्रतिपादित किया गया है कि आहत साक्षी की साक्ष्य पर विश्वास किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी साक्ष्य को निरस्त करने के आधार अभिलेख पर न हो जो कि उसकी साक्ष्य में बड़े विरोधाभाष या कमी के रूप में होते हैं। ऐसे में हरीसिंह अ०सा०–1 की अभिसाक्ष्य पूर्ण विश्वसनीय है और उसकी अभिसाक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित हो जाता है कि उसे चोटे पाई गई हैं वह आरोपी गंगासिंह के द्वारा ही फावडे से धार तरफ से मारकर पहुंचाई गई।

31. अन्य परीक्षित साक्षियों में ए०एस०आई० नवरंगसिंह अ०सा०—8 ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है कि वह दिनांक 07.01.13 को थाना मौ में एच०सी०एम० के पद पर पदस्थ था। तब फरियादी हरीसिंह के मौखिक रिपोर्ट पर से उसने प्र0पी0—1 की एफ०आई०आर० दर्ज की थी और उसे उपचार व चिकित्सा परीक्षण हेतु प्र0पी0—5 का मुलाहिजा फॉर्म भरकर शासकीय अस्पताल मौ भेजा था। फरियादी उसके पास दोपहर 3.10 बजे रिपोर्ट लिखाने अपने चाचा के लडके साथ आया था। यह स्वीकार किया है कि प्र0पी0—1 में फरियादी ने धार तरफ से फावडा मारना नहीं लिखाया था। इस विरोधाभाष को विशेष महत्व नहीं दिया जा

सकता है। क्योंकि फरियादी हरीसिंह अ०सा0—1 ने धार तरफ से फावडा मारने वाली बात प्रतिपरीक्षा के पैरा—5 में बचाव पक्ष की ओर से स्पष्टीकरण लिये जाने पर बताई है इसलिये उसका एफ0आई0आर0 में उल्लेख न होना अभियोजन के लिये कतई घातक नहीं है। और उसके आधार पर प्र0पी0—1 की एफ0आई0आर0 को संदिग्ध नहीं माना जा सकता है।

- 32. जहाँ तक फरियादी के खून आलूदा कपडे जप्त न होने का प्रश्न है, एफआईआर लेखक व फरियादी हरीसिंह ने यह तो स्वीकार किया है कि फरियादी के कपडों पर खून लगा था लेकिन कपडे जप्त नहीं हुए। कपडे जप्त न होना भी अभियोजन के लिये घातक नहीं माना जा सकता है न ही वह घटना को संदिग्ध बनाता है। इसलिये इस संबंध में भी बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
- उपनिरीक्षक विजयसिंह अ०सा०-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र०पी०-6 के नक्शामौका के अलावा फरियादी हरीसिंह यादव का उसके बताये अनुसार विवेचना में कथन लेना बताते हुए साक्षी मोतीराम का भी कथन लेना कहा है। मोतीराम अ०सा०–९ न उसका समर्थन नहीं किया है किन्त् अभियोजन की स्पष्ट साक्ष्य आई है जिसके संबंध में तात्विक विरोधाभाष या विषंगति नहीं है। इसके अलावा डी०एस० वैश्य अ०सा०–५ के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में दिनांक ०७.०१.१३ को थाना प्रभारी थाना मौ के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए व्यक्त किया है कि फरियादी हरीसिंह यादव की रिपोर्ट पर पंजीबद्ध हुए अप०क०–05/13 की विवेचना उसने उपनिरीक्षक बी०एस० गोयल के द्वारा की जा रही थी जिसे दिनांक 16.04.13 को उसने स्वयं ले ली थी। और आरोपी की गिरफतारी की थी और उससे फावडे की जप्ती की थी जिसका जप्ती पत्र प्र0पी0—3 बनाया था। प्र0पी0—2 का गिरफतारी पत्र बनाया था। मोहनसिंह का कथन लिया था और न्यूरो सर्जरी विभाग ग्वालियर से अभिमत रिपोर्ट प्राप्त की थी जिसमें चोटें गंभीर प्रकृति की पाये जाने के आधार पर धारा-326 भा0द0वि0 का इजाफा किया गया था। साक्षी मोहनसिंह, बदनसिंह मंदिर के पास ही घटनास्थल पर मिल गये थे जिनके समक्ष उसने कार्यवाही की थी। उक्त साक्षी के द्वारा की गई विवेचना के संबंध में कोई तात्विक स्वरूप के विरोधाभाष उत्पन्न नहीं होते हैं।
- 34. इस तरह से फरियादी हरीसिंह यादव अ०सा0—1 और अ०सा0—3 लगायत 8 की अभिसाक्ष्य से अभियोजन की घटना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होती है। फावडे के आगे का हिस्सा जिससे कोई वस्तु या मिट्टी आदि एकत्र की जाती है, वह धारदार होता है और फावडे का फल लोहे का होता है। ऐसे में वह सख्त एवं धारदार हथियार की श्रेणी में आयेगा। और ऐसे हथियार से गंभीर चोट कारित होने पर धारा—326 भा०द०वि० का अपराध आकर्षित होता है।
- 35. अभिलेख पर समग्र साक्ष्य के मूल्यांकन पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 07.01.13 को दिन के करीब 2.00 बजे आरोपी गंगासिंह उर्फ पण्डा के द्वारा रामहरि के खेत के पास हार मौजा मौ में फरियादी हरीसिंह यादव को सख्त एवं धारदार हथियार फावडे से माथे में बांई तरफ मारकर स्वेच्छ्या घोर उपहित कारित की। फलतः आरोपी को धारा—326 भा0द0वि0 के अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

36. इस तरह से उपरोक्त किये गये विश्लेषण अनुसार धारा—294, 506 भाग—2 भा0द0वि0 के आरोपों से आरोपी गंगासिंह को दोषमुक्त किया गया है। तथा धारा—326 भा0द0वि0 के अपराध के लिये दोषसिद्ध ठहराया गया है। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः दण्डाज्ञा के बिन्दु पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थिगित किया जाता है।

> (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड

-::- द ण डा ज्ञा -::-

- दण्डाज्ञा के बिन्दु पर आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान ए०जी०पी० के तर्क सुने गये। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है तथा वह वृद्ध व्यक्ति है। उसका समझौता फरियादी से हो चुका है। तथा वह विचारण के दौरान पचास दिन जेल में भी रह चुका है इसलिये उसे उदार रूख अपनाते हुए उसके द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई निरोध की अवधि को पर्याप्त मानते हुए एवं अर्थदण्ड से ही दिण्डत कर छोड दिया जावे। जबिक विद्वान ए०जी०पी० का तर्क है कि आरोपी द्वारा अकारण ही घटना को अंजाम दिया गया है। और यदि वह विवाद का शांतिपूर्वक बातचीत से हल निकालता तो घटना घटित ही नहीं होती। इसलिये यथोचित दण्ड दिया जावे। तािक अनावश्यक झगडों की प्रवृत्ति पर रोक लग सके।
- 38. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर विचार किया गया। मूल घटना मुताबिक आरोपी के द्वारा फरियादी हरीसिंह को खेत में पानी लगाते समय पानी रोककर विवाद की शुरूआत की और घटना कारित की जिससे फरियादी हरीसिंह के माथे पर चोट आई। यदि फावडा सिर में और अधिक मार्मिक अंग पर लग जाता तो और भी गंभीर घटना घटित हो सकती थी।
- 39. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आरोपी करीब 65 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति है और उसके विरूद्ध पूर्व दोषिसद्धि का प्रमाण नहीं है जिससे उसका प्रथम अपराध होने की पुष्टि होती है। किन्तु जिस आहत हरीिसंह के साथ घटना घटित हुई है, वह भी करीब 62 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति था। और कािरत चोट की वजह से वह काफी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा व इलाज कराना पडा। आरोपी के विरूद्ध धारा—326 भा०द०वि० का अपराध प्रमाणित पाया गया है जिसमें आरोपी के प्रथम अपराधी होने व वृद्ध होने के आधार पर काटी गई न्यायिक निरोध की अविध एवं अर्थदण्ड पर्याप्त दण्डादेश नहीं होगा। हालांकि यह सही है कि प्रकरण में आहत और आरोपी के द्वारा अंतिम प्रक्रम पर आपसी समझौता पेश हुआ था जो अशमनीय अपराध को

देखते हुए अस्वीकार हुआ। किन्तु दोनों पक्षों के मध्य वर्तमान में मधुर संबंध स्थापित होना प्रतीत होते हैं। ऐसे में दण्डाज्ञा में उदारता का दृष्टिकोण अपनाया जाना उचित व न्यायसंगत होगा। हालांकि इस बिन्दु पर बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये न्याय दृष्टांत रामपूजन एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ यू०पी० 1973 सी०ए०आर० पेज—304 (एस०सी०) पेश किया गया है जिसमें उभयपक्षों के मध्य समझौता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उदारता बरतते हुए भोगी गई न्यायिक निरोध की अवधि और अर्थदण्ड को पर्याप्त दण्डादेश मानकर विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये दण्डादेश को घटाया था। जो भिन्न परिस्थितियों पर आधारित है। इसलिये उसके आधार पर भी आरोपी के द्वारा दिनांक 17.04.13 से 10.06.13 की अवधि में न्यायिक निरोध में रहने को पर्याप्त दण्डादेश नहीं माना जा सकता है। और उसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है।

- 40. अतः समस्त परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त आरोपी गंगासिह उर्फ पण्डा को दोषसिद्धि अपराध धारा—326 भा0द0वि0 के लिये छः माह के सश्रम कारावास एवं 5000 / —रूपये (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे। आरोपी के द्वारा न्यायिक निरोध में व्यतीत की गई अविध मूल सजा में समायोजित की जावे।
- 41. जमा अर्थदण्ड में से ढाई हजार रूपये रूपये बतौर क्षतिपूर्ति आहत हरिसिंह पुत्र भंवरसिंह यादव निवासी लुहारपुरा मौ अपील अवधि उपरान्त दिलाये जावें ।
- 42. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।
- 43. आरोपी का सजा वारण्ट मय धारा—428 द.प्र.सं. के साथ बनाया जाकर जेल भेजा जावे ।
- 44. आरोपी को निर्णय की निशुल्क प्रति प्रदान की जावे । तथा निर्णय की एक प्रति डी०एम० भिण्ड को भेजी जावे।
- 45. प्रकरण में जप्त संपत्ति फावडा मूल्यहीन होने से अपील अवधि उपरांत नष्ट किया जावे ।

दिनांकः 20.04.2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया। खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड